


**IRRIGATION DIVISION, GORAKHPUR
T. DIAGRAM OF CANALS**



कृषकों हेतु सूचना

1. फसल को आवश्यकता से अधिक पानी देने पर कम उपज होती है।
2. कुलाबों की गूल ठीक दशा में न होने पर उसमें पानी देना बन्द किया जा सकता है।
3. यदि किसी खेत का कुछ भाग सींचा गया हो और बाकी भाग 15 सेमी0 ऊँची नेंड से अलग न किया गया हो तो पूरे खेत पर सींच कर लेंगेगा।
4. **शांभिल बरहा** : किसी नहर का पानी किसी खेत में गया हो और उसके गूल में जितनी साधन से पानी लेकर सींच की गयी हो तो नहर सिंचाई कर लेंगेगा। यदि पूरी फसल नहर का पानी न लेना हो तो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग की फसल आरम्भ होने से पूर्व ही लिखित रूप से दे दें। इस अवस्था में शामिल बरहा नहीं होगा। परन्तु इसलें बाद नहर से पानी रिया गया हो तो सिंचाई कर का चार गुना दण्ड सिंचाई पर अतिरिक्त लेंगेगा।
5. **ताबाद** : यदि किसी खेत की सिंचाई अवैधानिक ढंग से की गयी हो तो सींच कर के अतिरिक्त चार गुना तक कर लगाया जायेगा।
6. **आवजाया** : यदि नहर का पानी बिना बोयें क्षेत्र में फैलता है तथा गहराई 15 सें0मी0 से अधिक हो तो दो गुना, यदि 30 सें0मी0 से अधिक हो तो तीन गुना सींच कर जो उस फसल के लिये सबसे अधिक दर का होगा, लेंगेगा।
7. **सिंचाई कर में छूट** : देवी आपदा जैसे, ओला, पाला, डिब्डी, माहू, आदि से फसल नष्ट हो जाये तो 50 प्रतिशत से कम पर कुछ नहीं, 50 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत के कम पर आधा तथा 75 प्रतिशत से अधिक पर पूर्ण छूट सींच कर में देय है।
8. **गलत इन्दाज** : अशिक्षित खेत यदि सिंचित लिखा हो तो पर्चा विवरण के 21 दिन के अन्दर यदि खाल सींच की तोड़ तथा गलत लिन्स अंकित हो तो 30 दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र अधिशासी अभियन्ता / सहायक अभियन्ता/

श्री0आरूआ0 /जिलेदार में से किसी को देना होगा।

अवैक्षण अभियन्ता - नये कुलाबों की मांग, कमाण्ड विभाजन, दहन व नये स्थान परिवर्तन, नयी नहरों तथा नालों का निर्माण एवं तावान के रिफूड अर्थात।

अधिशासी अभियन्ता - नहरों का संचालन, नहरी संपत्ति की नीलामी एवं भूमि का प्रतिकार एवं खादी से हात्ति, नालों की सफाई तथा नहरी पट्टी पर वाहन चलाने की अनुमति, आवजाया एवं तावान।

सहायक अभियन्ता - कुलाबों के स्थान एवं दहन की त्रुटि एवं पानी की मांग, नहरों की टेलों पर पानी की कमी एवं नहर तथा नालों की सफाई।

उप राजस्व अधिकारी – गलत इन्दाज, फसल सौख्य, विसंगरी गूल।
 अवर अभियन्ता – टेलों पर पानी की कमी, खादी, कटिंग, नहर एवं नालों की सफाई, कुलाबों को सही स्थान पर लगाना।

- (अ) क्या करें : 1. सिंचाई से पूर्व गूलों की सफाई करें।
 2. पानी चक्कि महसुई में ही लगायें।
 3. पानी लगाने के बाद कुलाबा बन्द करें।
 4. पानी न मिलने पर अथवा नहरों में कटिंग/खादी होने

पर, अवर अभियन्ता/सींचपाल अथवा जिलेदार को सूचित करें।

(ब) नहर न काटें, बसा न लगायें, कुलाबों के स्थान में परिवर्तन न करें।

(स) समस्यारों के निराकरण हेतु, प्रत्येक माह की 5 व 20 तारीख को संबंधित जिलेदारी कार्यालय सींच पर्यवेक्षक/सींचपाल/जिलेदार/सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता से प्रत्येक कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

क्र. सं.	नाम अधिकारी	मुख्यालय पद	मुख्यालय
1.	श्री दिनेश सिंह सचान	अधिशासी अभियन्ता	गोरेखपुर
2.	श्री मूल चंद राम	सहा0 अभियन्ता <i>I</i>	सिसवाँ
3.	श्री मूल चंद राम	सहा0 अभियन्ता <i>II</i>	परतावल
4.	श्री हरीशचंद जायसवाल	सहा0 अभियन्ता <i>III</i>	गोरेखपुर
5.	श्री सुकान्त जायसवाल	सहा0 अभियन्ता <i>IV</i>	गोरेखपुर
6.	श्री चान प्रसाद	उप राजस्व अधि0	गोरेखपुर
7.	श्री रामाश्रय	जिलेदार <i>I</i>	सिसवाँ
8.	श्री रून्ध प्रसाद चौधरी	जिलेदार <i>II</i>	परतावल
9.	श्री अंगद प्रसाद	जिलेदार <i>III</i>	पिपराइच
10.	श्री अंगद प्रसाद	जिलेदार <i>IV</i>	भट्कट
11.	श्री भानु प्रताप	अवर अभियन्ता	उप खण्ड प्रथम
12.	श्री अजित कु0 कुशवाहा	अवर अभियन्ता	उपखण्ड चतुर्थ
13.	श्री एल0 शी0 राम	अवर अभियन्ता	उपखण्ड तृतीय
14.	श्री संजय कु0 सिंह	अवर अभियन्ता	गोरेखपुर

